न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला–अजमेर

राजस्व वाद सख्या–38 सन् 2013

देवी वल्द मांगू माली निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा हाल बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)

..........वादी

बनाम

भागू - आदेश दिनांक 30-1-17 की पालना मे

1. भालू वल्द भालू जाति माली निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा हाल तहसील बिजयनगर अब मृतक बजाय उसके वारिसानः–

   1/1 श्रीमती गीता पत्नी स्व0 श्री भालू

   1/2 भंवर लाल पुत्र स्व0 श्री भालू

   1/3 सुरेश पुत्र स्व0 श्री भालू

   1/4 प्रेम पुत्री स्व0 श्री भालू

   1/5 मनभर पुत्री स्व0 श्री भालू

   समस्त जाति माली निवासीगण बाडी
2. नानू वल्द भागू
3. सोहन वल्द भागू
4. श्रीमती रूकमा पत्नी भागू

   समस्त जाति माली निवासीगण बाडी तहसील बिजयनगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर

...........प्रतिवादीगण

तरमीम वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिंनाकः– 23.11.2016

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

प्रकरण मे ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर स्थित आराजी ख0न0 1587, 1619, 1629, 1670, 1671 1672, 1673 कुल किता 7 रक्बा 13–08–10 बीघा के विभाजन के वाद पर दिनांक 09.05.2014 को डिक्री पारित कर बमुताबिक राजीनामा तहसीलदार बिजयनगर से बटवारा प्रस्ताव तलब किय गये। तहसीलदार बिजयनगर ने नियमानुसार बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये। जिन पर विद्वान अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया प्रस्ताव पर उन्हे कोई आपत्ति नही है। अतः प्रकरण मे अंतिम डिक्री यथा प्रस्ताव निम्न प्रकार पारित की जाती है–

वादी देवीलाल वल्द मांगू कौम माली निवासी बाडी के हिस्से एंव खातेदारी मे ग्राम बाडी स्थित आराजी ख0न0 1619 रक्बा 0–12–10 किस्म चा0 1 व 1629 रक्बा 0–17–10 किस्म चाही 1 तथा ख0न0 1670/1 रक्बा 4–19–00 बीघा तथा वार्षिक लगान रू 8.30 रू रखे जाते है।

प्रतिवादी 1 स्व0 भालू वल्द भागू के वारिसान भवरलाल सुरेश पिता भालू व श्री मती प्रेम व मनभर पुत्रिया भालू तथा श्री मती गीता पत्नी स्व0 भालू तथा प्रतिवादी स0 2 से 4 सर्व श्री नानू व सोहन पिता भागू तथा श्री मती रूकमा पत्नी स्व0 भागू जाति माली निवासी ग्राम बाडी के हिस्से एंव खातेदारी मे ग्राम बाडी स्थित आराजी ख0न0 1587/1 रक्बा 3–18–10 बारानी 2 व 1671 रक्बा 2–02–10 चा0 3 व 1673 रक्बा 1–16–00 चाही 3 कुल किता 3 रक्बा 7–17–00 बीघा रखी जाती है तथा लगान रू 10/– कायम किया जाता है।

बाडी स्थित चाह न0 1672 रक्बा 0–02–10 गै0मु0 चाह मे वादी देवी का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 से 4 का पूर्ववत रखा जाता है। इसी प्रकार ख0न0 1587/2 रक्बा 06 बिस्वा बारानी 2 तथा 1670/2 रक्बा 04 बिस्वा चा0 3 जो उभय पक्षान के रास्ते के उपयोग के लिए आरक्षित की जाती है। इन्हे राजस्व जमाबंदी मे ख0न0 1587/2 बारानी 2/गै0मु रास्ता एंव 1670/2 चा0 3/ गै0मु0 रास्ता से दर्ज किया जावे। प्रस्तावित नक्शे अनुसार इन दोनो खसरा नम्बरान की रास्ते की राजस्व नक्शे मे पृथक से तरमीम की जावे।

यथानुसार अंतिम डिक्री जारि की जावे। तहसीलदार बिजयनगर निर्णय की पालना अन्दर मयाद 15 दिवस मे करना सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.06 15:42:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: